

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या- 20/2013

बहादुरसिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी स्यालूकला उप तहसील सुरजगढ
तहसील चिडावा जिला झुन्झुनूँ राज०

---अपीलान्ट---

---बनाम---

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील सुरजगढ तहसील चिडावा
जिला झुन्झुनूँ राज०

---रेस्पोजेन्ट---

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक

9-7-2013 द्वारा जिला कलेक्टर

झुन्झुनूँ एवं निर्णय दि० 11-7-12

द्वारा नायब तहसीलदार सुरजगढ।

---०---

उपस्थित-

1- श्री सुरीलकुमार जोशी एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री बिरजूसिंह बोखावत राजकीय अभिभावक

निर्णय दिनांक- 17.1.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी ह.का ने अदालत मातहत को रिपोर्ट की कि गैरसायल ने आराजी ख० नं० 64 कुल रकबा 0.81 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर पर कुरडी डालकर अतिक्रमण कर रखा है । जिस पर नायब तहसीलदार ने गैरसायल को राज० भू-राजस्व अधिनियम की धारा-9। का नोटिस जारी कर सुनवाई करते हुये गैरसायल अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर अतिक्रमी मानते हुये पटवारी ह.का की रिपोर्ट सही मानकर गैर सायल को उक्त छठे रकबे पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया तथा आर्थिक दण्ड स्वल्प लगान का 50 गुणा पैने.ती कायमी के आदेश पारित किये । ह.का

आदेशा से धुब्ध होकर अपीलान्ट ने प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू के न्यायालय में पेशा की जहां पर अपीलान्ट की अपील को खारिज कर विद्वान नायब तहसीलदार के निर्णय को यथावत रखा गया जिससे धुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट का साबित हुये बिना ही अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर आदेशा पारित किया है जो विधि के विपरित है । अदालत मातहत ने न तो पटवारी हल्का की मौका बही को तलब किया न ही पटवारी हल्का के सशपथ बयान लिये। अदालत मातहत ने केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट को बिना किसी आधार के सही मानकर आदेशा पारित करने में कानूनी भूल की है। खसरा गिरदवरी में आराजी ख0नं0-64 को सिवायचक अंकित किया गया। जबकि निर्णय में बारानी दर्ज किया गया है । अपीलान्ट को जिस रकबें से बेदखल आदेशा दिया है वह अपीलान्ट के पिता के समय से ही अपीलान्ट के कब्जे में है । अपीलान्ट का कब्जा पुराना होने से यह आराजी नियमन योग्य है । अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर आदेशा पारित किया है। अदालत मातहत के निर्णय को पढ़ने मात्र से ही यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को अपने बचाव में साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर न देकर आदेशा पारित किया है। अदालत मातहत में अपीलान्ट ने नोटिस का जबाब पेश कर साक्ष्य सबूत के अवसर चाहा जिस पर अपीलान्ट को कहा गया कि आगामी पेशा के लिये बाद में अवगत करवा दिया जावेगा । किन्तु हल्का पटवारी के आने तक अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई । हल्का पटवारी ने दिनांक 8-3-2013 को आकर कहा कि आपको बेदखल किये जाने के आदेशा हुये हैं । जिस पर अपीलान्ट को सुनवाई का कोई उचित अवसर नहीं दिया जाकर यह आदेशा पारित किया है जिसके विरुद्ध अपीलान्ट ने यह अपील समय सीमा में पेशा की है । विवादित आराजी पर अपीलान्ट का पिछले 30 वर्षों से लगातार कब्जा रहा है जिसके कारण यह आराजी अपीलान्ट के पक्ष में

निर्णय दिया है। अदालत मातहत का यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय निरस्त किये जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अदालत मातहत में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर अपने पिता के समय से कब्जा का मत है जो लगभग 30 वर्षों से भी अधिक समय से है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का के न तो सहाय्य बयान लिये और न ही मौका की बही को तलब किया। केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट को बिना किसी साक्ष्य के सही मानकर अपीलान्ट को जो बेदखली का आदेश दिया गया है वही विधि के विपरित है। अपीलान्ट का इस भूमि पर कितना पुराना कब्जा है इस बात की भी जांच करनी चाहिये थी। अपीलान्ट का इस आराजी पर पुराना कब्जा है। अतः नियमन योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर योग्य अदालत मातहत के निर्णय निरस्त किये जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है। विवादित आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी को भी अतिक्रमण करने का हक अधिकार नहीं है। अपीलान्ट के विरुद्ध पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट की है वह सही एवं मौके के अनुसार की है। अपीलान्ट का यह कथन भी गलत है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अपीलान्ट को नोटिस जारी किया जिसका उपस्थित होकर जबाब पेशा किया है। अपीलान्ट का जबाब आने के बाद ही सुनकर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है। अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार सूरजगढ की आदेशिका दिनांक 11-7-12 में गैर सायल की तामिल होना दर्ज है । तथा इसी दिनांक को अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित कर दिया । अर्थात् अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का न्यायोचित समय नहीं दिया गया । जबकि अपीलान्ट को सुनवाई पर्याप्त समय दिया जाकर ही आदेश पारित किया जाना चाहिये । किन्तु अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । जिससे हम यह मानते हैं कि अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समूचित अवसर नहीं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार मिलना चाहिये । अतः हम प्रकरण को विद्वान नायब तहसीलदार सूरजगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान नायब तहसीलदार सूरजगढ का निर्णय दिनांक 11-7-12 एवं विद्वान जिला कलेक्टर झुन्डुनू का निर्णय दिनांक 9-7-2013 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 0-28-2-2018 को उपस्थित होंगे ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 17.1.2018 को सुनाया गया ।


श्री अवरलाल मेहरड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर